

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुखदेव बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बिलाड़ा)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 30 / 2020</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--------------------	--	--

26.02.20

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुखदेव पुत्र रामपाल निवासी कुकड़दा पोस्ट आसोप, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 11.10.2019 में उसके द्वारा (1) ग्राम कुकड़दा के खसरा सं. 76/1 के आवंटन नं. 1955 दिनांक 22.07.1967, आवंटन आदेश नं. 3373 दिनांक 11.08.1967 व आवंटन आदेश नं. 3377 दिनांक 11.08.1967 के सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बिलाड़ा) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।